

न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-०७/२०११-१२

(२०/२००२)

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-एस०एम० दास गेड़ीमल
आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
०१	०२	०३
	यह वाद विद्वान उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय आर०एम०पी० वाद सं०-२०/२००२ में दिनांक-३०.१२.२०११ को पारित आदेश द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत वाद पाकुड़ अंचल के मौजा-मालपहाड़ी के जमाबन्दी सं०-२५/७४, दाग सं०-१४११ अंतर्गत रकवा-००बी०-१३क०-००धूर भूमि का विपक्षी एस०एम० दास गेड़ीमल, पाकुड़ के नाम अवैध रूप से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबन्दी के विलोपन से संबंधित है। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा स्था० रा० वि० वाद सं०-३१/९८-९९ में दिनांक-२४.११.२००० को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमाबन्दी को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है। संबंधित पक्षकार को अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी/उत्तराधिकारी उपस्थित तो हुए परन्तु उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई भी कागजात/दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया। अंतिम नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। यह वाद लम्बे समय से विचाराधीन है और विपक्षी द्वारा आज तक ना तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और ना ही दावे के समर्थन में कोई कागजात/दस्तावेज दाखिल किया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह स्पष्ट हो सके की जमान्दी का सृजित वैध तरीके से किया गया है। कई नोटिस के उपरान्त भी वाद में कारणपृच्छा दाखिल नहीं करना अथवा पैरवी नहीं करना यह दर्शाता है कि इस वाद में उनकी कोई अभिरुचि नहीं रह गयी है अथवा उनके पास दावे के समर्थन में कोई वैध दस्तावेज नहीं है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत भूमि अनाबादी खाते की सरकारी भूमि है। विपक्षी के नाम पंजी-॥ में सृजित जमाबन्दी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज आज तक इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी एस०एम० दास गेड़ीमल, पाकुड़ के नाम से राजस्व पंजी-॥ में सृजित जमाबन्दी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रश्नगत अवैध जमाबन्दी को विलोपित करते हुए उसे सरकारी कब्जे में ले लें एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	